REGD, NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

The Gazette of India **KNCY** असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II---खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) PART II-Section 3-Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2008/आश्विन 4, 1930 सं. 13661 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2008/ASVINA 4, 1930 No. 1366]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सङ्क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2008

का.आ. 2298(अ).---केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :---

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के क्रम सं. 3, 16 और 17 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और

क्रम सं	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन	राज्य सरकार का नाम
(1)	(2)	(3)
"3	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 [963.00 कि.मी. से 1126 कि.मी. तक (राष्ट्रीय राजमार्ग 31ग/31 नालबाड़ी,	असम राज्य सरकार
	गुवाहाटी) को छोड़कर], सं. 31ख, सं. 36 [0.000 कि.मी. से 38.000 कि.मी. तक (डबोका से	
	नागांव सेक्शन) को छोड़कर], सं. 37 [146.000 कि.मी. से 274.000 कि.मी. तक (गुवाहाटी	
	बाइपास सहित गुवाहारी से नागांव) को छोड़कर], सं. 37क, सं. 38, सं. 39, सं. 44, सं. 51,	
	सं. 52 [345.000 कि.मी. से 510.000 कि.मी. तक (उत्तरी लखीमपुर से जोनाई सेक्शन) को	
	छोड़कर और 845.000 कि.मी. से 876.000 कि.मी. तक (रुपाई से सीतापानी सेक्शन) को छोड़कर],	
. •	सं. 52क, सं. 52ख, सं. 53, सं. 61, सं. 151, सं. 152, सं. 153 और सं. 154 जो असम राज्य	
· · ·	के भीतर स्थित हैं।	
16	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 44, सं. 51, सं. 62, जो मेघालय राज्य के भीतर स्थित हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग	मेघालय राज्य सरकार
	सं. 40 ।	•
17	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 44क, सं. 54, सं. 54क, सं. 54ख, सं. 150 और सं. 154 जो मिजोरम राज्य	मिजोरम राज्य सरकार''
	के भीतर स्थित हैं ।	
· ·	[फा. सं. एनएच-	14013/8/2006पी एंड एम]
		गभाका जा-मनित

प्रभाकर, उप-सचिव

पाद टिप्पण :---मूल अधिसूचना, भारत सरकार के राजपत्र में सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सं. का.आ. 1100(अ), तारीख 5 मई, 2008 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

3761 GI/2008

2	,	THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY	[PART II	 5(II)]	
	· · · · ·	MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
	 15	(Department of Road Transport and Highways)			
	• •	NOTIFICATION			

New Delhi, the 26th September, 2008

S.O. 2298(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways number S.O. 1096(E), dated 4th August, 2005, namely :—

Sl. No.	Description of National Highway	Name of the State Government
(1)	(2)	(3)
	So much of National Highways No. 31 [excluding km. 963.000 to km. 1126 (Junction	State Government of
1. 25 1	of National Highways 31C/31-Nalbari Guwahati)], No. 31B, No. 36 [excluding from	Assam
	km. 0.000 to km. 38.000 (section from Daboka to Nagaon)], No. 37 [excluding from	
	km. 146.000 to km. 274,000 (Guwahati to Nagaon including Guwahati Bypass)], No. 37A,	• •
	No. 38, No. 39, No. 44, No. 51, No. 52 [excluding from km. 345.000 to km. 510.000 (section	· .
	from North Lakhimpur to Jonai) and from km. 845.000 to 876.000 (section from Rupai to	
	Sitapani)], No. 52A, No. 52B, No. 53, No. 61, No. 151, No. 152, No. 153 and No. 154 as	
•	are situated within the State of Assam.	
16	So much of National Highways No. 44, No. 51, No. 62 as are situated within the State	State Government of
6	of Meghalaya and National Highway No. 40.	Meghalaya
17	So much of National Highways No. 44A, No. 54, No. 54A, No. 54B, No. 150 and No. 154	State Government of
	as are situated within the State of Mizoram.	Mizoram"

[F. No. NH-14013/8/2006-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot note: — The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 1100(E), dated the 5th May, 2008.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2008

का.आ. 2299(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 815(अ) तारीख 25 मई, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में,---

्राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 44 के संबंध में प्रविष्टियां और स्तंभ (1), (2) और (3) में उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा । [फा. सं. एनएच-14013/8/2006-पी एंड एम]

प्रभाकर, उप-सचिव

पाद टिप्पण :---मूल अधिसूचना, भारत सरकार के राजपत्र में सं. का.आ. 815(अ), तारीख 25 मई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2008

S.O. 2299(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 815(E), dated the 25th May, 2007, namely :—

In the Table to the said notification,—

The entries in respect of National Highways No. 44 and the entries relating thereto in columns (1), (2) and (3) shall be omitted.

[F. No. NH-14013/8/2006-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot note:— The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 815(E), dated the 25th May, 2007.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.